भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-437
बुधवार, 20 नवम्बर, 2019/29 कार्तिक, 1941 (शक)

बेरोजगारी की बढ़ती दर

437. श्री नारायण दास गुप्ताः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र (सीएमआईई) द्वारा जारी किए गए आँकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर अक्तूबर में बढ़कर 8.48 प्रतिशत हो गई है जो तीन वर्ष में सबसे अधिक है;

(ख) क्या मंत्रालय को यह भी जानकारी है कि इप्सॉस पब्लिक अफेयर्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारतीयों के बीच बेरोजगारी चिंता के सबसे बड़े कारण के रूप में उभरी है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे लक्षित नीति उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क और ख): भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) तथा इप्सॉस पब्लिक अफेयर निजी संस्थान हैं तथा सरकार उनके द्वारा अपनाए गए सर्वेक्षण डिजाइन तथा कार्य पद्धति से अवगत नहीं है। हालांकि, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैः

बेरोजगारी दर	
सर्वेक्षण*	अखिल भारत
2017-18 (पीएलएफएस)	**6.0%**
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	**3.7%**
2013-14 (श्रम ब्यूरो)	**3.4%**

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

(ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्टार्ट-अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है, जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****